दूरभाष/Phone :25367033, 25367035, 25367036
फैक्स/Fax :0091-11-25367024
ई-मेल/E-mail: mci@bol.net.in
वेबसाईट/Website :www.mciindia.org

पॉकेट-14, सेक्टर-8, द्वारका,
फेस1-, नईदिल्ली110077-
Pocket- 14, Sector- 8, Dwarka,
Phase – 1,New Delhi-110077
एमसीआई12-

भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद के अधिक्रमण में शासी बोर्ड
BOARD OF GOVERNORS
IN SUPERSESSION OFMEDICAL COUNCIL OF INDIA

No. MCI-23(1)/(MC)/2020-21/ 107881 **Dated:** 10|7|2020

To

The Principal/Dean
All the Medical Colleges/Medical Institutions of India

Subject: **Online filing of information relating to admissions made in Medical Colleges/Postgraduate Institute for postgraduate medical courses for the Academic Year 2020-21 - Reg.**

Madam/Sir,

In this regard, this is to draw your kind attention that admissions in Postgraduate courses (for Diploma, MD/MS) has to be made in accordance with the provisions of the Indian Medical Council Act, 1956 and Postgraduate Medical Education Regulations, 2000. The Regulations framed by the Council have been held to be statutory, binding and mandatory in character by the Hon'ble Supreme Court in its various pronouncements.

2. The admission in various Postgraduate courses in Medicine the Medical College are required to ensure that the admission is in terms of the following parameters, based upon the judicial decisions and MCI Regulations:-

(i) All admission are made only and exclusively through the National Eligibility-cum-Entrance test (NEET) conducted by the National Board of Examination.
(ii) No admission is made beyond the sanctioned intake capacity.
(iii) Procedure for selection of candidates is in accordance with clause 9 of the Postgraduate Medical Education Regulations, 2000.
(iv) No admission is permitted beyond the cut-off date specified in Regulations/decision of the Hon'ble Supreme Court.
(v) The Postgraduate students undergoing Postgraduate Degree/Diploma/Super-Specialty course are paid stipend at par with the stipend being paid to the Postgraduate students of State Government Medical Institutions / Central Government Medical Institutions in the State/Union Territory where the institution is located.

3. The Medical Colleges are required to ensure that all admission in courses of medicine fall within the purview of the Indian Medical Council Act, 1956 and are strictly in accordance with merit and are made in a transparent and fair manner as envisaged in the Regulations. Any violation shall lead to discharge of the concerned student from the courses and such action against the concerned Medical College/Institution as is permissible in law.

दूरभाष/Phone : 25367033, 25367035, 25367036
फैक्स /Fax : 0091-11-25367024
ई-मेल /E-mail : mci@bol.net.in
वेबसाईट /Website : www.mciindia.org

पॉकेट -14, सेक्टर-8, द्वारका,
फेस-1, नई दिल्ली-110077
Pocket- 14, Sector- 8, Dwarka,
Phase – 1, New Delhi-110077

भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद के अधिक्रमण में शासी बोर्ड

BOARD OF GOVERNORS IN SUPERSESSION OF MEDICAL COUNCIL OF INDIA

सं.भा.आ.प.-23(1)/(एम सी)/2020-21/ 107881 दिनांक: 10/7/2020

सेवा में,

प्रधानाचार्य/डीन
भारत के सभी मेडिकल कॉलेज/चिकित्सा संस्थान

विषय: शैक्षिक वर्ष 2020-21 के लिए स्नातकोत्तर चिकित्सा पाठ्यक्रमों हेतु मेडिकल कॉलेजों/स्नातकोत्तर संस्थानों में किए गए दाखिलों से संबंधित सूचना का ऑनलाइन दाखिल किया जाना।

महोदया/महोदय,

इस संबंध में, आपका ध्यान इस ओर आकर्षित किया जाता है कि स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों (डिप्लोमा, एमडी/एमएस) में दाखिले, भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद अधिनियम, 1956 और स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा विनियमावली, 2000 के अनुसार किए जाने होंगे। परिषद द्वारा बनाई गई विनियमावलियों को, माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा अपने विभिन्न निर्णयों में, सांविधिक, बाध्यकारी और अनिवार्य स्वरूप का माना गया है।

2. मेडिसिन में विभिन्न स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में दाखिलों के लिए मेडिकल कॉलेजों के लिए यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि दाखिले, निम्नलिखित मापदंडों के अनुसार, न्यायिक निर्णयों और भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद की विनियमावलियों पर आधारित हों:

(i) सभी दाखिले, केवल और अनन्य रूप से राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड द्वारा आयोजित की गई राष्ट्रीय पात्रता व प्रवेश परीक्षा (नीट) के माध्यम से ही किए गए हैं।

(ii) कोई भी दाखिला, स्वीकृत प्रवेश क्षमता से अधिक नहीं किया गया है।

(iii) अभ्यर्थियों के चयन की प्रक्रिया, स्नातकोत्तर चिकित्सा विनियमावली, 2000 के खंड 9 के अनुसार है।

(iv) माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णयों/विनियमावलियों में विनिर्दिष्ट विच्छेदन तारीख के पश्चात किसी दाखिले की अनुमति नहीं है।

(v) स्नातकोत्तर डिग्री/डिप्लोमा/अति-विशेषज्ञता पाठ्यक्रमों में अध्ययनरत स्नातकोत्तर छात्रों को, उस राज्य/संघ शासित क्षेत्र, जहां संस्थान स्थित है, में राज्य सरकार के चिकित्सा संस्थानों/केन्द्र सरकार के चिकित्सा संस्थानों के स्नातकोत्तर छात्रों को भुगतान किए जा रहे वजीफे के बराबर वजीफे का भुगतान किया जाता है।

3. मेडिकल कॉलेजों को यह सुनिश्चित करना आवश्यक है, कि मेडिसिन के पाठ्यक्रमों में सभी दाखिले, भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् अधिनियम, 1956 के दायरे के अंदर आते हैं और पूरी तरह मेरिट के अनुसार हैं तथा पारदर्शी और विनियमावली में यथाविचारित तरीके से किए गए हैं किसी उल्लंघन के परिणामस्वरूप, संबंधित छात्र को पाठ्यक्रम से निकाल दिया जाएगा और संबंधित मेडिकल कॉलेज/संस्थान के विरूद्ध ऐसी कार्रवाई की जाएगी, जो कानून में अनुमत हो।

दूरभाष/Phone :25367033, 25367035, 25367036
फैक्स/Fax :0091-11-25367024
ई-मेल/E-mail: mci@bol.net.in
वेबसाइट/Website :www.mciindia.org

पॉकेट-14, सेक्टर-8, द्वारका,
फेस1-, नईदिल्ली110077-
Pocket- 14, Sector- 8, Dwarka,
Phase – 1,New Delhi-110077
एमसीआई12-

भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद के अधिक्रमण में शासी बोर्ड
BOARD OF GOVERNORS
IN SUPERSESSION OFMEDICAL COUNCIL OF INDIA

4. In order to effectively monitor that all admissions made in courses of medicine are in conformity with the requirement of Regulations, an online monitoring system has been launched by the Council. This initiative is made with the objective of ensuring faithful adherence to the norms of admission laid down in Regulations as also to further promote transparency and accountability in the medical education.

5. Therefore, all the Medical Colleges/Institutions are called upon to submit the requisite information through an online system that can be accessed through Council website [http://www.mciindia.org]. You are required to submit the details of all the Students admitted PG (Broad specialty) during the current academic year 2020-21.

6. The On-line monitoring system will be open for entry from **24th July, 2020** for Broad speciality postgraduate courses. An unique login id will be provided to each college. Through this unique login id all the Medical colleges/Institutions must submit the admission details of Postgraduate students latest by **10th August, 2020** for Broad specialty courses beyond which the Colleges/Institutions will not be allowed to enter the details of the students into Student Admission Online Monitoring System for this current academic year. This year Colleges/Institutes need not sent hardcopy of the data of admission in PG Courses. Data uploaded through the Student Admission Entry portal shall be the only data used for the purpose of monitoring students admission to PG courses. **Hard Copies of student admission received by MCI Office will not be considered for the purpose of monitoring. No further extension of time will be given under any circumstances.**

7. **Non receipt of this information within stipulated time will reflect on the recommendation to be made by the Council to the Central Government for grant of permission/recognition to the Colleges/Institutions for that academic year and/or subsequent academic years.**

8. The following guidelines shall be followed by the Colleges/Institutions
   1. Use the URL as www.mciindia.org and click on Registered user Login.
   2. A login screen will be displayed.
   3. Use the login credentials. Remember that the Password and the code shown on the screen are case sensitive. Provision is there to change the password. Password should be kept confidential.

9. The following details shall be captured in entry screen for Postgraduate students.
   i. Course Name.
   ii. Sanctioned intake capacity
      (a) No. of Recognized seats
      (b) No. of permitted seat (if all not recognized)
      (c) Total Number of Seats

दूरभाष/Phone : 25367033, 25367035, 25367036
फैक्स /Fax : 0091-11-25367024
ई-मेल /E-mail : mci@bol.net.in
वेबसाईट /Website : www.mciindia.org

पॉकेट -14, सेक्टर-8, द्वारका,
फेस-1, नई दिल्ली-110077
Pocket- 14, Sector- 8, Dwarka,
Phase – 1, New Delhi-110077

भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद के अधिक्रमण में शासी बोर्ड
BOARD OF GOVERNORS IN SUPERSESSION OF MEDICAL COUNCIL OF INDIA

4. यह प्रभावी ढंग से मॉनीटर करने की दृष्टि से कि मेडिसिन के पाठ्यक्रम में किए गए सभी दाखिले, विनियमावली की शर्तों के अनुरूप हैं, परिषद् द्वारा एक ऑनलाइन मॉनीटरिंग प्रणाली आरंभ की गई है। यह पहल, विनियमावली में विनिर्धारित दाखिले के मापदंडों का निष्ठापूर्वक पालन सुनिश्चित करने और चिकित्सा शिक्षा में पारदर्शिता तथा जवाबदेही का बढ़ावा देने के उद्देश्य से की गई है।

5. इसलिए, सभी मेडिकल कॉलेजों/संस्थानों को आदेश दिया जाता है कि वे ऐसी ऑनलाइन प्रणाली के जरिए अपेक्षित सूचना प्रस्तुत करें, जिस पर परिषद् की वेबसाइट (http://www.mciindia.org) के जरिए पहुँचा जा सकता है। आपके लिए यह आवश्यक है कि आप वर्तमान शैक्षिक वर्ष 2019-20 के दौरान स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों (सामान्य एवं अति-विशेषज्ञता) में दाखिल किए गए सभी छात्रों के ब्यौरे प्रस्तुत करें।

6. ऑनलाइन मॉनीटरिंग प्रणाली, सामान्य विशेषज्ञता के लिए 24th जुलाई, 2020 से प्रवेश हेतु आरंभ होगी। प्रत्येक कॉलेज को एक अनूठा लॉगइन आईडी उपलब्ध कराया जाएगा। इस लॉगइन आईडी के जरिए, सभी मेडिकल कॉलेजों/संस्थानों को सामान्य विशेषज्ञता के लिए अंततः 5th अगस्त, 20200 तक स्नातकोत्तर छात्रों के दाखले के ब्यौरे प्रस्तुत करने चाहिए, जिसके पश्चात कॉलेजों/संस्थानों को, इस चालू शैक्षिक वर्ष के लिए छात्र दाखिला ऑनलाइन मानीटरिंग प्रणाली में छात्रों के ब्यौरों की प्रविष्टि करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। इस वर्ष कॉलेजों/संस्थानों को, स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में दाखिले के आंकड़ों की हार्ड प्रति भेजने की आवश्यकता नहीं है। छात्र दाखिला प्रवेश पोर्टल के जरिए अपलोड किए गए आंकड़े ही , स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में छात्रों का दाखिला मॉनीटर करने के उद्देश्य के लिए इस्तेमाल किए आंकड़े होंगे। भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् के कार्यालय द्वारा प्राप्त की गई, छात्रों के दाखिले की हार्ड प्रतियों को मॉनीटरिंग के उद्देश्य के लिए नहीं माना जाएगा। किसी भी परिस्थिति में समय का आगे विस्तारण प्रदान नहीं किया जाएगा।

7. विनिर्धारित समय के अंदर इस सूचना का प्राप्त न होना, उस शैक्षिक वर्ष और/या उत्तरवर्ती शैक्षिक वर्षों के लिए कॉलेजों/संस्थानों को अनुमति/मान्यता प्रदान करने के लिए केन्द्र सरकार को परिषद् द्वारा की जाने वाली सिफारिश पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगा।

8. कॉलेजों/संस्थानों द्वारा निम्नलिखित दिशानिर्देशों का पालन किया जाएगा:

1. www.mciindia.org के रूप में यूआरएल का इस्तेमाल करें और पंजीकृत उपयोगकर्ता लॉगइन पर क्लिक करें।
2. एक लॉगइन स्क्रीन प्रदर्शित होगा।
3. लॉगइन प्रत्यायकों का इस्तेमाल करें। याद रखें कि स्क्रीन पर दर्शाया गया पासवर्ड और कोड संवेदनशील स्थितियां है। पासवर्ड में परिवर्तन करने की व्यवस्था है। पासवर्ड को गुप्त रखा जाना चाहिए।

9. स्नातकोत्तर छात्रों के लिए प्रविष्टि स्क्रीन में निम्नलिखित ब्योरे प्राप्त किए जाएगे:

i. पाठ्यक्रम का नाम
ii. स्वीकृत प्रवेश क्षमता
(क) मान्यता प्राप्त सीटों की संख्या
(ख) अनुमति प्राप्त सीटों की संख्या (यदि सभी मान्यता प्राप्त नहीं हैं)
(ग) सीटों की कुल संख्या

दूरभाष/Phone :25367033, 25367035, 25367036
फैक्स/Fax :0091-11-25367024
ई-मेल/E-mail: mci@bol.net.in
वेबसाइट/Website :www.mciindia.org

पॉकेट-14, सेक्टर-8, द्वारका,
फेस1-, नईदिल्ली110077-
Pocket- 14, Sector- 8, Dwarka,
Phase – 1,New Delhi-110077
एमसीआई12-

भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद के अधिक्रमण में शासी बोर्ड
BOARD OF GOVERNORS
IN SUPERSESSION OFMEDICAL COUNCIL OF INDIA

iii. Date of admission.
iv. Last date of admission.
v. Name of student with Registration No. & with which State Medical Council.
vi. Category: (Gen/SC/ST/OBC/PH).
vii. Gender: Male/Female.
viii. National Eligibility-cum-Entrance Test
  (a) Percentile Score of NEET PG
  (b) All India Rank
  (c) State Rank
ix. Stipend
  (a) Stipend paid (Yes/No)
  (b) If no state reasons and send clarificatory documents with hard copy.
  (c) Stipend paid in amount
  (d) Stipend paid by Govt. Inst. in your State.
x. Whether admitted on permitted/recognized seat.
xi. Name of the PG teacher under whom the student admitted.

10. Kindly add the details of the Students according to the fields as mentioned above which will be available on the screen. Provision has been given to modify or delete any wrong entry by **10th August, 2020** for Broad specialty courses. No modifications will be allowed after the cutoff date.

11. The Council may ask for other supportive documents like Caste certificate, details of Competitive entrance exam etc. as and when required by the Monitoring Cell. Please note that in case the number of seats in any postgraduate courses in MCI website showing "Zero" or "Dash" or course not being displayed then please submit the copy of MCI/Government of India, MOHFW letter with regard to number of seats fixed in respect of number of admissions made by your institute. Otherwise the students admitted in these courses are liable to be discharged

12. The onus of furnishing true, correct and authentic information is upon the College concerned and in case of furnishing of any wrong/incorrect information it shall be open to MCI to initiate action as is permissible in law.

13. In case of any difficulty in accessing MCI website an email may be sent to pg.monitoring@mciindia.org and the Council office shall revert within 02 working days to resolve the query/issue.

Yours faithfully,

(Dr. S. Venkatesh)
(Principal Adviser)

दूरभाष/Phone : 25367033, 25367035, 25367036
फैक्स /Fax : 0091-11-25367024
ई-मेल /E-mail : mci@bol.net.in
वेबसाईट /Website : www.mciindia.org

पॉकेट -14, सेक्टर-8, द्वारका,
फेस-1, नई दिल्ली-110077
Pocket- 14, Sector- 8, Dwarka,
Phase – 1, New Delhi-110077

भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद के अधिक्रमण में शासी बोर्ड
BOARD OF GOVERNORS IN SUPERSESSION OF MEDICAL COUNCIL OF INDIA

iii. दाखिले की तारीख

iv. दाखिले की अंतिम तारीख

v. पंजीकरण संख्या के साथ और जिस राज्य आयुर्विज्ञान परिषद् के साथ पंजीकृत है, के साथ-साथ छात्र का नाम

vi. श्रेणी : (सामान्य/अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि.व./शारीरिक रूप से विकलांग)

vii. लिंग : पुरूष/महिला

viii. राष्ट्रीय पात्रता व प्रवेश परीक्षा

(क) नीट स्नातकोत्तर का पर्सेंटाइल स्कोर

(ख) अखिल भारतीय रैंक

(ग) राज्य में रैंक

ix. वजीफा

(क) क्या वजीफे का भुगतान किया गया? (हाँ/नहीं)

(ख) यदि नहीं, तो कारणों का उल्लेख करें और हार्ड प्रति के साथ स्पष्टीकरण दस्तावेज भेजें।

(ग) भुगतान किया गया वजीफा, धनराशि में।

(घ) आपके राज्य में सरकारी संस्थान द्वारा भुगतान किया गया वजीफा

x. क्या अनुमतिप्राप्त/मान्यताप्राप्त सीट पर दाखिल किया गया?

xi. उस स्नातकोत्तर अध्यापक का नाम, जिसके अधीन छात्र दाखिल किया गया।

10. कृपया जैसा ऊपर उल्लेख किया गया है, फील्डों के अनुसार छात्रों के ब्योरे जोड़े, जो स्क्रीन पर उपलब्ध होंगे। सामान्य विशेषज्ञता के लिए 5th जुलाई, 2020 तक किसी गलत प्रविष्टि को संशोधित करने या उसका विलोप करने की व्यवस्था दी गई है। उक्त विच्छेदन तारीख के पश्चात किसी संशोधन की अनुमति नहीं होगी।

11. जब कभी मॉनीटरिंग सैल द्वारा आवश्यक हो, परिषद अन्य समर्थकारी दस्तावेज मांग सकती है, जैसे जाति प्रमाणपत्र, प्रतियोगितात्मक प्रवेश परीक्षा के ब्योरे आदि। कृपया नोट करें कि भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद की वेबसाइट में, किसी स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में सीटों की संख्या "शून्य" या "रेखिका" दर्शाए जाने की स्थिति में या पाठ्यक्रम न दर्शाए जाने की स्थिति में, कृपया आपके संस्थान द्वारा किए गए दाखिलो की संख्या के संबंध में निश्चित की गई सीटों से संबंधित भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद/भारत सरकार स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के पत्र की प्रति प्रस्तुत करें। अन्यथा इन पाठ्यक्रमों में दाखिल किए गए छात्र बर्खास्त किए जा सकते हैं।

12. सही, सत्य और प्रामाणिक सूचना प्रस्तुत करने की जिम्मेदारी, संबंधित कॉलेज पर है और कोई गलत/असत्य सूचना प्रस्तुत करने की स्थिति में, भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद के पास यह विकल्प होगा कि वह ऐसी कार्रवाई आरंभ करे, जो कानून में अनुमत हो।

13. भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् की वेबसाइट पर पहुँचने में किसी कठिनाई की स्थिति में, monitoring@mciindia.org पर ई-मेल भेजी जा सकती है और परिषद का कार्यालय पृच्छा/मुद्दे का हल निकालने के लिए 02 कार्य दिवसों के अंदर पलट कर उत्तर देगा।

भवदीय,

श्री वेंकटेश

(डॉ. एस. वेंकटेश)
प्रधान सलाहकार

दूरभाष/Phone :25367033, 25367035, 25367036
फैक्स/Fax :0091-11-25367024
ई-मेल/E-mail: mci@bol.net.in
वेबसाईट/Website :www.mciindia.org

पॉकेट-14, सेक्टर-8, द्वारका,
फेस1-, नईदिल्ली110077-
Pocket- 14, Sector- 8, Dwarka,
Phase – 1,New Delhi-110077
एमसीआई12-

भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद के अधिक्रमण में शासी बोर्ड
BOARD OF GOVERNORS
IN SUPERSESSION OFMEDICAL COUNCIL OF INDIA

Copy for information and necessary action to:-

1. Computer Section, Medical Council of India, New Delhi with request to upload this circular letter to MCI Website.
2. The Project Head, Digital Mission Mode Project (DMPP), Bodh Tree Medical Council of India, New Delhi with the request to open portal on the schedule date as stated above.
3. The Guard file (PG Monitoring Cell).

दूरभाष/Phone : 25367033, 25367035, 25367036
फैक्स /Fax : 0091-11-25367024
ई-मेल /E-mail : mci@bol.net.in
वेबसाईट /Website : www.mciindia.org

पॉकेट -14, सेक्टर-8, द्वारका,
फेस-1, नई दिल्ली-110077
Pocket- 14, Sector- 8, Dwarka,
Phase – 1, New Delhi-110077

भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद के अधिक्रमण में शासी बोर्ड

BOARD OF GOVERNORS IN SUPERSESSION OF MEDICAL COUNCIL OF INDIA

प्रति निम्नलिखित को - सूचना और आवश्यक कार्रवाई के लिए:

1. कम्प्यूटर अनुभाग, भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद, नई दिल्ली को भा.आ.प. की वेबसाइट में परिपत्र अपलोड करने के अनुरोध सहित ।
2. प्रोजेक्ट हैड, डिजिटल मिशन मोड प्रोजेक्ट (डी एम एम पी) बोध ट्री, भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद, नई दिल्ली को उक्त के अनुसार अधिसूचित तारीखों में पोर्टल खोलने के अनुरोध सहित ।
3. गार्ड फाईल (स्नातकोत्तर निगरानी कक्ष) ।